गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009 No 25 of 2009)

Phone 07752-260401, 260381, Web site www.ggu.ac.in Email id : storesectionggv2021@gmail.com

क्रमांक 98 /छात्र कल्याण/2023 बिलासपुर दिनांक 24/11/2023

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/अधिष्ठातागण
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र–छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति बाबत्।

महोदय/महोदया,

विगत वर्षो की भाँति विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में सत्र 2023–2024 में प्रवेषित अर्हतादायी छात्र–छात्राओं को छात्र कल्याण योजना के अंतर्गत छात्र वृत्ति का लाभ दिया जाना है। इस संदर्भ में छात्र कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक 90/छात्र कल्याण/2023, बिलासपुर दिनांक 25/09/2023 एवं पत्र कमांक 95/छात्र कल्याण /2023, दिनांक 30/10/2023 जारी किया गया था। चूंकि विश्वविद्यालय में कुछ परिक्षाओं के परिणाम जारी नहीं किये गये है। अतः अर्हतादायी विद्यार्थियों के आवेदन को ध्यान में रखते हुए विभागाध्यक्ष/ संकायाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15/12/2023 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करेगें। संबंधित आवेदन पत्र एवं छात्र कल्याण योजनाओं की प्रति प्राप्ति हेत विश्वविद्यालय के वेब पटल का अवलोकन करे। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वेब पटल से आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सभी प्रविष्टयों को सावधानी पूर्वक भरने एवं अपने हस्ताक्षर करने उपरांत संबंधित स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों के साथ विभागाध्यक्ष को 11/12/2023 तक प्रेषित करेगें। तत्तपश्चात् विभागाध्यक्ष, अभिलेखों का सत्यापित कर संकायाध्यक्ष को 13/12/2023 तक प्रेषित करेगें। संकायाध्यक्ष अपने अध्ययनशाला के समस्त आवेदनों पर हस्ताक्षरोपंत 15/12/2023 तक अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करेगें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

उक्त जानकारी से छात्र–छात्राओं सोशल मिडिया के माध्यम से अवगत कराते हुए इस सुचना को विभाग के सूचना पटल पर भी चस्पा करायें।

आदेशानुसार

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :–99 /छात्र कल्याण/2023 बिलासपुर, दिनांक 24/11/2023

1. कुलपति जी के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के/कुलसचिव के निज सहायक को कुलसचिव महोदय के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता विभिन्न अध्ययनशालाओं की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य छात्रवास अधीक्षक/अधीक्षक बालक /बालिका छात्रावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
5. कार्यालयीय प्रति।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण